भारत सरकार पहले ही विभिन्न कदम उठा चुकी है जिनकी सूची निम्नलिखित है:--

(1) किसी भी कीटनाशी औषधि का आयात या विनिर्माण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत गठित पंजीयन समिति द्वारा पंजीकृत न किया जाये। पंजीयन प्रदान करने से पहले समिति संबंधित कीटनाशी औषधि की जैवी प्रभावोत्पादकता और मनुष्य जाति तथा पशुओं पर इसके अहानिकर प्रभाव के विषय में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है।

(2) ऐसी कीटनाशी औषधियों के प्रत्येक पैकेट के साथ कीटनाशी औषधियों के उपयोग के संबंध में अनुदेश और सावधानियां सप्लाई करना अपेक्षित है।

(3) अधिनियम के अन्तर्गत कीटनाशी औषधियों के प्रत्येक विनिर्माता/वितरक को लाइसेंस लेना आवश्यक है। लाइसेंस तभी दिये जाते हैं जब यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि संबंधित कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये विनिर्माता या वितरक के पास पर्याप्त व्यवस्था है।

(4) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कीटनाशी औषधियों के विश्लेषण के लिये प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिसमे बेची जाने वाली कीटनाशी औषधियों की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

(5) कीटनाशी औषधियों का उचित उपयोग करने में किसानों को निर्देश देने के लिये सक्षम बनाने हेतु विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(6) केन्द्र सरकार की विभिन्न प्रयोगशालाएं खाद्य वस्तुओं में कीटनाशी औषधियों के अवशेष का प्रबंधन (मानिटरिंग) करती हैं और यह सुनिश्चित करती है कि ये अवशेष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विहित सह्य सीमा के भीतर है।

बिहार में बोरिंग के सामान और पम्पों की आपूर्ति में धांधली

2072. श्री हुक्मदेव नारायण यादव :
श्री लाडली मोहन निगम :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने 20 अक्तूबर, 1983 को पत्र लिख कर बिहार में खास कर दरभंगा जिले में बोरिंग के सामान और पम्पों की आपूर्ति में बैंकों, व्यापारियों और अधिकारियों द्वारा जो धांधली की जा रही है उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच की मांग की थी ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जांच में भी गड़बड़ी की जा रही है और यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, हां। राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवायी गयी है।

(ख) भारत सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।